स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 49

परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		5500.00	24.77	5524.77	5300.00	24.77	5324.77	6424.00	29.49	6453.49
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**5500.00**	**24.77**	**5524.77**	**5300.00**	**24.77**	**5324.77**	**6424.00**	**29.49**	**6453.49**
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	...	3.60	3.60	...	4.04	4.04	...	4.16	4.16
परिवार कल्याण										
2. निदेशन और प्रशासन	2211	6.03	4.40	10.43	5.98	4.77	10.75	7.40	4.92	12.32
	3601	194.06	...	194.06	194.06	...	194.06	249.84	...	249.84
	3602	8.71	...	8.71	8.71	...	8.71	...	...	...
जोड़-निदेशन और प्रशासन		**208.80**	**4.40**	**213.20**	**208.75**	**4.77**	**213.52**	**257.24**	**4.92**	**262.16**
परिवार कल्याण सेवाएं										
3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	2211	3.43	...	3.43	2.93	...	2.93	58.20	...	58.20
	3601	1527.46	...	1527.46	1717.46	...	1717.46	1811.00	...	1811.00
	3602	1.82	...	1.82	1.71	...	1.71	...	...	...
	जोड़	*1532.71*	*...*	*1532.71*	*1722.10*	*...*	*1722.10*	*1869.20*	*...*	*1869.20*
4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.58	...	0.58	0.58	...	0.58	0.60	...	0.60
	3601	114.82	...	114.82	114.82	...	114.82	132.48	...	132.48
	3602	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	...	...	...
	जोड़	*121.00*	*...*	*121.00*	*121.00*	*...*	*121.00*	*133.08*	*...*	*133.08*
5. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना	2211	483.94	...	483.94	353.24	...	353.24	1145.68	...	1145.68
	3601	222.87	...	222.87	132.10	...	132.10	230.00	...	230.00
	3602	3.70	...	3.70	0.59	...	0.59	5.00	...	5.00
	जोड़	*710.51*	*...*	*710.51*	*485.93*	*...*	*485.93*	*1380.68*	*...*	*1380.68*
6. टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियो का उन्मूलन	2211	381.45	...	381.45	291.86	...	291.86	466.30	...	466.30
	3601	782.00	...	782.00	716.55	...	716.55	828.30	...	828.30
	3602	22.95	...	22.95	9.07	...	9.07	10.00	...	10.00
	जोड़	*1186.40*	*...*	*1186.40*	*1017.48*	*...*	*1017.48*	*1304.60*	*...*	*1304.60*
7. मातृत्व लाभ योजना	2211	101.00	...	101.00	50.00	...	50.00	...	...	...
जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं		**3651.62**	**...**	**3651.62**	**3396.51**	**...**	**3396.51**	**4687.56**	**...**	**4687.56**
8. परिवहन	2211	0.15	0.24	0.39	0.15	0.23	0.38	...	0.17	0.17
	3601	49.45	...	49.45	49.45	...	49.45	...	...	...
	3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	...	...	...
जोड़-परिवहन		**50.00**	**0.24**	**50.24**	**50.00**	**0.23**	**50.23**	**...**	**0.17**	**0.17**
9. मुआवजा	2211	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	...	...	...
	3601	195.15	...	195.15	195.15	...	195.15	...	...	...
	3602	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
जोड़-मुआवजा		**200.15**	**...**	**200.15**	**199.65**	**...**	**199.65**	**...**	**...**	**...**
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
10. सूचना, शिक्षा और संचार	2211	106.89	2.47	109.36	155.88	2.47	158.35	119.30	2.53	121.83
11. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन	2211	56.71	14.06	70.77	51.49	13.26	64.75	55.44	17.71	73.15
	3601	90.05	...	90.05	89.97	...	89.97	97.27	...	97.27
	3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
	जोड़	*147.01*	*14.06*	*161.07*	*141.71*	*13.26*	*154.97*	*152.71*	*17.71*	*170.42*
जोड़-शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		**253.90**	**16.53**	**270.43**	**297.59**	**15.73**	**313.32**	**272.01**	**20.24**	**292.25**
12. अन्य सेवाएं और आपूर्ति										
12.01 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण	2211	0.84	...	0.84	0.32	...	0.32	1.00	...	1.00
	3601	90.49	...	90.49	88.95	...	88.95	164.97	...	164.97
	3602	3.67	...	3.67	2.54	...	2.54	4.00	...	4.00
	जोड़	*95.00*	*...*	*95.00*	*91.81*	*...*	*91.81*	*169.97*	*...*	*169.97*

(करोड़ रुपए)

		बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12.02 वाणिज्यिक वितरण	2211	200.00	...	200.00	239.61	...	239.61	238.16	...	238.16
12.03 संभारतंत्र सुधार	2211	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	...	...	...
12.04 क्षेत्र परियोजनाएं	2211	59.01	...	59.01	39.87	...	39.87	59.76	...	59.76
	3601	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*63.01*	*...*	*63.01*	*39.87*	*...*	*39.87*	*59.76*	*...*	*59.76*
12.05 बंध्यीकरण बिस्तर	3601	1.95	...	1.95	1.95	...	1.95	2.00	...	2.00
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
	जोड़	*2.00*	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*2.00*
12.06 अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	2211	1.70	...	1.70	1.25	...	1.25	1.70	...	1.70
12.07 स्कैलपेल रहित वैसेक्टॉमी	2211	2.92	...	2.92	1.69	...	1.69	...	...	...
12.08 अन्य योजनाएं	2211	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.20	...	3.20
12.09 नए उपक्रम-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति	2211	157.90	...	157.90	191.91	...	191.91	40.00	...	40.00
12.10 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण	2211	60.00	...	60.00	47.36	...	47.36	50.00	...	50.00
13. उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	2552	550.00	...	550.00	530.00	...	530.00	642.40	...	642.40
जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां		**1135.53**	**...**	**1135.53**	**1147.50**	**...**	**1147.50**	**1207.19**	**...**	**1207.19**
14. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	*3606*	*...*	*-130.00*	*-130.00*	*...*	*-130.00*	*-130.00*	*...*	*-130.00*	*-130.00*
सहायता सामग्री और उपस्कर	*निवल*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
कुल-जोड़		***5500.00***	***24.77***	***5524.77***	***5300.00***	***24.77***	***5324.77***	***6424.00***	***29.49***	***6453.49***
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. परिवार कल्याण	22211	4950.00	...	4950.00	4770.00	...	4770.00	5781.60	...	5781.60
2. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	550.00	...	550.00	530.00	...	530.00	642.40	...	642.40
जोड़		**5500.00**	**...**	**5500.00**	**5300.00**	**...**	**5300.00**	**6424.00**	**...**	**6424.00**

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2010 तक प्रजनन की प्रतिस्थापन दर और वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को हासिल करने की परिकल्पना की गई है। ये लक्ष्य गर्भ-निरोधक की पूरी न की गई जरुरतों को पूरा करके, टीकाकरण के तहत गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को सार्वभौमिक तौर पर शामिल करके तथा संस्थागत एवं सुरक्षित प्रस्ताव के अनुपात में सुधार लाकर हासिल किए जाने हैं।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें तथा उनके लिए प्रावधान निम्नानुसार हैः-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएंः** इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **निदेशन और प्रशासनः** परिवार कल्याण विभाग का तकनीकी स्कन्ध परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक और नीति विषयक मार्गदर्शन प्रदान करता है और मुख्यालय में आयोजना, परिवीक्षण, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

3. **ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएंः** निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख- रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंख्या (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी उप-केन्द्र (1,45,980) दिनांक 1.4.2002 से परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे हैं।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएंः** शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। वर्तमान में 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 871 स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

5. **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रमः** सीएसएसएम कार्यक्रम में की जा रही गतिविधियों को मजबूत बनाने तथा विस्तृत करने के अलावा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं को मजबूत बनाना तथा उन्हें नई दिशा प्रदान करना है। सेवाओं के इस पैकेज को व्यापक बनाकर इसमें नैदानिक, जननांग संक्रमण/यौन संचारी संक्रमणों का प्रबंध भी शामिल कर दिया गया है। आर.सी.एच. का पहला चरण समाप्त हो गया है और चरण-II 2005-06 से शुरु होगा।

6. **टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना तथा पोलियो का उन्मूलनः** इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज को सुदृढ़

करना है। इसके अलावा देश से पोलियों वायरस का नामोनिशान मिटाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

7. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना**ः इस योजना का नाम अब जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) रखा गया है और आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल में मिला दिया गया है।

8. **परिवहन**ः इस तथ्य को मानते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा 2001-02 तक राज्यों को विभिन्न स्तरों पर वाहन प्रदान किए जा रहे थे। इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए सहायता दी जा रही है। अब यह योजना राज्यों को हस्तातारित की गई है।

9. **क्षतिपूर्तिः** बंध्य विधियों (बन्ध्यीकरण) को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति तथा भोजन, मरहम पट्टी, दवाइयों, परिवहन आदि की लागतों को पूरा करने के लिये। अब इसे आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल का हिस्सा बनाया गया है।

10. **सूचना, शिक्षा और संचार**ः सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का कार्यान्वयन आर.सी.एच. तथा जनसंस्या नियंत्रण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किया जाता है।

11. **प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन**ः परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक अर्हता प्राप्त, प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण को उचित महत्व दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, ए.एन.एम. और एम.पी.डब्ल्यू प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जनसंस्या विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी सुव्यवस्थित संस्थाएं भी शामिल हैं।

12. **अन्य सेवाएं और आपूर्तियां**ः

12.1 और 12.2 **गर्भ निरोधकों का निःशुल्क और वाणिज्यिक वितरण**ः इस बात को समझते हुए कि युवा दम्पत्ति प्रजनन आयु वर्ग में आ रहे हैं, उनके लिए परिवार नियोजन के बंध्यीकरण जैसे अंतिम उपायों की वकालत नहीं की जा सकती। अतः युवा युगलों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए स्वाने की गोलियां, निरोध, कापर-टी आदि जैसे परिवार नियोजन करने के विभिन्न गर्भ निरोधकों की कार्यक्रम के तहत पेशकश की गई है।

12.3 **संभार-तंत्र सुधार**ः यह योजना राज्यों में दवाओं, टीका-द्रव्यों, गर्भ-निरोधकों की प्राप्ति, भण्डारण और वितरण की संभरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए है। इसे आरसीएच प्लैक्सीबल पूल का हिस्सा बनाया गया है।

12.4 **क्षेत्र विकास कार्यक्रम**ः देश के पहचाने हुए कतिपय पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं मुहैया कराने की पद्धति में सुधार करने के लिए, जिससे राष्ट्रीय औसत के समतुल्य उनका विकास जल्दी हो सके, क्षेत्रीय परियोजनाएं, विदेशी अभिकरणों से आंशिक सहायता द्वारा शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, भवन, वाहन, प्रशिक्षण आदि के रूप में अतिरिक्त निविष्टियां प्रदान की जाती हैं।

12.5 **बन्ध्यीकरण बिस्तर**ः इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार कार्य-निष्पादन के आधार पर योजना के तहत आरक्षित बिस्तरों के रस्वरस्वाव हेतु भुगतान के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं।

12.6 **अन्तर्राष्ट्रीय अंशदान**ः इस योजना के अंतर्गत यूएनएफपीए, आईसीओएमपी, इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों में अंशदान करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

12.7 **"स्कैलपेल-रहित वैसेक्टॉमीः** पुरुषों के लिए गर्भनिरोध हेतु उपलब्ध सर्वाधिक कारगर तरीका है। इसे आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल का हिस्सा बनाया गया है।

12.8 **अन्य स्कीमें**ः बैठकों/सम्मेलनों इत्यादि के लिए यह प्रावधान है।

12.9 **नए उपाय और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति**ः जैसाकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निहित है, सामुदायिक प्रोत्साहन योजना, परिवार कल्याण से संबद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना, सेवाओं का समामेलन, आदि के लिए प्रावधान किया गया है।

12.10 **उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण**ः 10 वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 5.4 से घटा कर 4.0 करने और दम्पत्ति सुरक्षा दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए यू.एस.एड. की 10 वर्षीय परियोजना के लिए एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

13. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था**ः उनको परिवार नियोजन के बंध्याकरण जैसे अंतिम उपायों के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।

14. **सहायता सामग्री और उपस्कर**ः प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें टीकाकरण भी शामिल है, के लिए यूनिसेफ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वस्तुरुप में अनुदान सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

15. **विदेशी सहायता-प्राप्त घटक**ः परिवार कल्याण कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के विदेशी सहायता-प्राप्त घटक के लिए 2266.93 करोड़ रुपए का निम्नानुसार प्रावधान करने का प्रस्ताव हैः

1. आरसीएच कार्यक्रम जिसमें पोलियो का उन्मूलन और टीकाकरण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण शामिल है (1550.43 करोड़ रुपए)
2. आईपीपी परियोजनायें (54.00 करोड़ रुपए)।
3. यूसैड सहायित क्षेत्र परियोजना (एसआईएफपीएसए) (50.00 करोड़ रुपए)।
4. ईसी सहायित एसआईपी परियोजना (436.00 करोड़ रुपए)।
5. आईईसी (सूचना शिक्षा एवं संचार) (90.37 करोड़ रुपए)।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये (86.13 करोड़ रुपए)।

Website: http://indiabudget.nic.in